AGPE THE ROYAL GONDWANA RESEARCH JOURNAL
OF HISTORY, SCIENCE, ECONOMIC, POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE
ISSN (E): 2583-1348 | A Peer reviewed | An Open Access & Indexed
Volume 07 | Issue 04 | April 2026 | *www.agpegondwanajournal.co.in* | Page No. 24-31

सरदार वल्लभभाई पटेल का देशी रियासतों के विलीनीकरण में योगदान

मोनिका कुमारी [1] , डॉ. सोनू सारण [2]

1. रिसर्च स्कॉलर, श्री. जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाल विश्वविद्यालय, चुड़ेला, झुन्झुनू, राजस्थान, भारत
2. एसोसिएट प्रोफेसर, श्री. जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाल विश्वविद्यालय, चुड़ेला, झुन्झुनू, राजस्थान, भारत

सारांश

१९२७ में अखिल भारतीय राज्य प्रजामण्डल की स्थापना के साथ ही सरदार पटेल की देशी रजवाडों में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। प्रजामण्डल का लक्ष्य देशी रजवाड़ों में लोकतंत्र और प्रतिनिधिक संस्थाओं की स्थापना करना था। प्रजामण्डल या पटेल देशी रजवाड़ों का अंत नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा सिर्फ यह थी कि देशी रजवाड़े देश की मुख्य धारा में सम्मिलित हों और अपनी जनता की भलाई के लिए काम करें। वे पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे। देशी रजवाड़ों के संबंध में सरदार पटेल का यह दृष्टिकोण अंत तक बना रहा। उन्होंने १९२९ में ही देशी नरेशों को यह विश्वास दिला दिया था कि स्वतंत्र भारत में उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है।

सरदार पटेल भारत की समस्त रियासतों का एकीकरण करके अखण्ड भारत की कल्पना करते थे। साम, दाम, दण्ड और भेद की नीति में वे पारंगत थे। यही कारण है कि जो देशी राजा भारत में विलय के इच्छुक नहीं थे, उन्हें भी पटेल ने इस नीति को अपनाते हुए विवश कर दिया, जिससे किसी ने आत्मसमर्पण किया तो किसी ने प्रसन्नतापूर्वक विलय कर लेना चाहा। हैदराबाद, जूनागढ़, त्रावणकोर , भोपाल, जम्मू कश्मीर शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का सपना संजोए हुए थे। सरदार पटेल की युक्ति कारगर रही। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को छोड कर शेष देशी रियासतें १५ अगस्त १९४७ तक सहमत हो गई। इन तीन रियासतों को भी अलग–अलग कारणों से भारत में शामिल होना पड़ा।

CORRESPONDING AUTHOR:	RESEARCH ARTICLE
Monika Kumari Ph.D. Research Scholar, Shri Jagdish prasad Jhabarmal Tibrewala University, Churela, Jhunjhunu Rajasthan Email: rkbchuru@gmail.com	

मुख्य शब्द – प्रजामण्डल, एकीकरण, देशी रजवाड़े, रियासतें, अखण्ड भारत, लौह पुरूष, ब्रिटिश सरकार, राजनीतिक कौशल आदि।

प्रस्तावना

सरदार पटेल का जन्म ३१ अक्टूबर १८७५ को बॉम्बे प्रेसीडेंसी (अब गुजरात) में अपने ननिहाल नाडियाद में हुआ था।[१] सरदार पटेल के पिता का नाम झबेरभाई तथा माता का नाम लाड़बाई तथा पिता झबेरभाई गुजरात प्रांत में बोरसद तालुके के करमसद गाँव के एक साधारण कृषक थे। सरदार पटेल के पिता लेवा उपजाति से संबंधित थे, वे पटेल जाति के कुरमी क्षत्रिय थे। लेवा तलवार के धनी थे। इस जाति के अनेक लोगों ने १८५७ के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया था।

प्रारंभिक शिक्षा

वल्लभभाई का बचपन माता–पिता के साथ अपने गाँव करमसद में ही बीता और वहीं उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। वल्लभभाई ने १८९७ में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। मैट्रिक करने के बाद उनकी इच्छा वकील बनने की हुई। उस कालखण्ड में दो तरह के वकील हुआ करते थे– एक छोटे दर्जे के वकील, जिन्हें 'मुख्तयार' (डिस्ट्रिक्ट प्लीडर) कहते थे और दूसरे बड़े वकील थे, जिन्हें 'बैरिस्टर' कहा जाता था। बैरिस्टर की पदवी प्राप्त करने के लिए इंग्लैण्ड जाना पड़ता था। इसलिए उन्होंने मैट्रिक के तीन वर्ष तक कानून की पढ़ाई की और 'मुख्तयार' बनकर बोरसद के तहसील न्यायालय में वकालत करने लगे। बहुत जल्द ही उन्होंने अपने परिश्रम तथा तर्क बुद्धि के बल पर अपने कार्य में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। परन्तु उनके मन में एक बात हमेशा खटकती रहती थी कि उनके पास वह अधिकार नहीं है, जो बैरिस्टरों के पास हैं अत: उन्होंने इंग्लैण्ड जाकर बैरिस्टर बनने की ठान ली। वल्लभभाई पटेल १९१० में बैरिस्टरी पढ़ने के लिए विलायत रवाना हुए।[२]

मिडल टेम्पल से उन्होंने रोमन लॉ की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस पर इन्हें ५० पौंड का पुरस्कार भी मिला। वल्लभभाई पटेल १३ फरवरी १९१३ को बैरिस्टर बनकर भारत लौटे।

राजनीतिक जीवन

वर्ष १९१४ से १९१९ तक वकालत से सरदार पटेल ने काफी धन एवं विशेष ख्याति अर्जित कर ली थी। उस समय वकीलों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में सक्रिय भाग लेना एक परंपरा थी। अपने सार्वजनिक जीवन में आने पर राजनीतिक क्षेत्र में कई कार्यकर्ताओं के साथ वल्लभभाई के पारिवारिक संबंध बन गए थे। उन दिनों ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को परेशान करने के लिए तरह–तरह के कानूनी नियम बनाए जाते थे। इस कानून को लेकर सरदार पटेल भी बहुत आक्रोश में थे। इस बीच वल्लभभाई ने नगर परिषद का चुनाव लड़ने का निर्णय किया। इस समय दरियापुर बोर्ड के म्युनिसिपल सदस्य के देहांत के कारण उपचुनाव हुआ और १७ मई १९१७ को सरदार पटेल निर्विरोध निर्वाचित हो गए।

सरदार पटेल का भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग

क्रिप्स मिशन की असफलता के साथ ही देश में आजादी के लिए बढ़ती बैचेनी को समझकर गाँधीजी ने फिर से आंदोलन तेज करने की योजना बनाई। १४ जुलाई १९४२ को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में 'भारत छोड़ो आंदोलन' प्रस्ताव पास किया गया और बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में ८ अगस्त १९४२ को भारत छोड़ो आंदोलन पास कर दिया गया। इस अवसर पर सरदार पटेल ने जो भाषण दिया, उसकी अनेक लोगों ने भारी सराहना की।

गाँधीजी जन आंदोलन करने से पूर्व वायसराय से मिलना चाहते थे। लेकिन सरकार ने इसके लिए उन्हें समय नहीं दिया। अंग्रेजी सरकार ने ९ अगस्त को तड़के ४ बजे ही गाँधीजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को बंदी बना लिया। गाँधीजी को आगा खाँ महल में तथा सरदार पटेल को अहमदनगर किले में रखा गया।[3] दूरदर्शी सरदार पटेल ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि सभी नेताओं को बंदी बनाया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास होने से पहले ही उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए देश के विभिन्न भागों का दौरा करके जनता को आगाह कर दिया था कि आने वाले समय में उसे स्वयं ही आंदोलन चलाना है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वीर सैनिकों की तरह लाठी गोली का सामना करें, पर अपने अहिंसा के सिद्धान्त पर अटल रहें। कांग्रेस नेताओं की व्यापक गिरफ्तारी के बाद जन आक्रोश भड़क उठा। जनता को संयमित रखने और निरंतर अहिंसा की सीख देने वाले नेता तो जेल में बन्द थे।

अत: आन्दोलन में अहिंसा भी हुई और हिंसा भी। लोगों ने रेल की पटरियाँ उखाड़ दीं और सरकारी कर्मियों पर भी हमले किए। हुकूमत ने बड़ी बर्बरता के साथ आंदोलन का दमन किया। कुछ स्थानों पर पुलिस के साथ सेना को भी बुलाया गया। निहत्थे लोगों पर गोलियाँ चलीं, अमानुषिक अत्याचार हुए पर लोग गाँधीजी के 'करो या मरो' के आह्वान और सरदार पटेल के इस उपदेश से प्रेरित होकर कि जो कोई पैदा होता है, उसे एक न एक दिन अवश्य मरना होता है, अत: कायर की मौत मरने के बजाय वीर की मौत मरना श्रेयस्कर है की भावना से प्रेरित होकर अपनी पूरी ताकत आंदोलन में झौंक रहे थे। अहमदनगर के किले में सरदार पटेल अगस्त १९४२ से जून १९४५ तक तीन साल रहे। उनके साथ कांग्रेस के ११ प्रमुख नेता थे। जिनमें मौलाना आजाद और पंडित नेहरू भी शामिल थे, हालांकि सबको अलग–अलग कमरों में रखा गया था। सुचेता कृपलानी अभी गिरफ्तार नहीं हुई थीं, वह लगातार सरदार पटेल के लिए जेल में दवा भेजती रही। अपने जेल के सहयोगियों में पटेल की उम्र सबसे अधिक अर्थात् ७० वर्ष की थी। वे रोज सुबह तीन–चार मील टहलते थे और बागवानी में कुछ समय लगाते थे। उन्हें ताश खेलना प्रिय भी था। वे दोपहर को खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने से पहले ताश खेलते थे।

८ मई १९४५ को द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ। इसके प्राय: एक महीने बाद सरदार पटेल तथा उनके सहयोगियों को जेल से रिहा कर दिया गया। गाँधीजी इससे पहले जेल से छूट गए थे। मई १९४५ में मित्र राष्ट्रों की जीत के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन उसने ब्रिटेन की हालत इतनी जर्जर कर दी थी कि भारत जैसे बड़े उपनिवेश को अपने कब्जे में रखना उसके लिए संभव न था। विशेष रूप से जब स्वाधीनता

आंदोलन अपने चरम पर था। लिहाजा नए वायसराय ने २५ जून १९४५ को शिमला में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाने का फैसला लिया। सरदार पटेल भी शिमला गए लेकिन उन्होंने उस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। शिमला में यह सम्मेलन ४ दिन तक चला। सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से ही लिये जाएँ क्योंकि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है, ही सम्मेलन की असफलता का कारण बना। जुलाई १९४५ में ब्रिटेन में चुनाव हुए और सत्ता मजदूर दल के हाथ में आ गई। ब्रिटेन के सबसे अधिक भारत विरोधी प्रधानमंत्री चर्चिल को जाना पड़ा उनके स्थान पर नए प्रधानमंत्री एटली बने और भारत के प्रति कट्टर रूख रखने वाले मिस्टर एमरी के स्थान पर पैथिक लॉरेन्स भारत मंत्री बने। इन्होंने आते ही भारत में सर्वप्रथम चुनाव करवाए जिसमें कांग्रेस को भारी सफलता मिली।

१९४६ में केबिनेट मिशन भारत आया। केबिनेट मिशन के दो प्रमुख काम थे, उसे भारत की सांविधानिक सभा का दीर्घकालीन समाधान निकालना था और वायसराय की कार्यकारी परिषद को प्रतिनिधिक अंतरिम सरकार का रूप देना था।[४] केबिनेट मिशन को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया । २४ मार्च १९४७ को लार्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। उनके आने के बाद भारत को स्वाधीन करने की प्रक्रिया और तेज हो गई। नेहरू और सरदार पटेल ने कोई और विकल्प न देखकर देश का विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। कई राजनीतिक पर्यवेक्षक भारत विभाजन के लिए जिन्ना के साथ–साथ सरदार पटेल को भी उत्तरदायी मानते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन्ना ने ऐसी परिस्थितियाँ बना दी थी जिनमें और कोई विकल्प नेहरू या पटेल के पास न था। वे भारत को स्वाधीन देखना चाहते थे और जब उन्हें लगा कि स्वाधीनता का मोल देश का विभाजन ही है तो उन्होंने विवश होकर उसे स्वीकार कर लिया। गाँधीजी भारत के विभाजन के सबसे अधिक विरूद्ध थे पर उन्होंने भी मौन स्वीकृति दे दी।

१५ अगस्त १९४७ को भारत स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त हो गया था, लेकिन सबसे विकट समस्या स्वतंत्रता की रक्षा करने की थी। आजादी देश के विभाजन की कीमत पर मिली थी। देश आजादी और विभाजन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। विभाजन के फलस्वरूप हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच लाखों की संख्या में आबादी की अदला–बदली आवश्यक हो गई थी। मुसलमान हिन्दुस्तान से पाकिस्तान की ओर गए और हिन्दू पाकिस्तान से भारत आए। जो लोग सैकड़ों सालों से साथ–साथ रहे थे, वे अचानक ही एक दूसरे के दुश्मन हो गए। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियों सभी को हजारों की तादाद में मौत के घाट उतार दिया गया। मनुष्य, मनुष्य नहीं रहा। वह पशु से भी अधिक निर्दय बन गया।[५] सरदार पटेल देश के गृहमंत्री थे। उन्होंने साम्प्रदायिक लपटों को शांत करने की यथासंभव कोशिश की।

३० अगस्त १९४७ को पटेल जालंधर गए। इसके तीन बाद वे लाहौर गए और उन्होंने पाकिस्तानी नेताओं से साम्प्रदायिक दंगे रोकने और आबादी की शांतिपूर्ण अदला–बदली के बारे में बात की। इन दिनों गाँधीजी कलकत्ता में साम्प्रदायिकता की लपटों को शांत करने में लगे हुए थे। ३० सितम्बर १९४७ को अमृतसर में हुई एक सार्वजनिक सभा में सरदार पटेल ने कहा था कि शरणार्थी इस आशा से यहाँ आ रहे हैं कि यहाँ पहुँचकर फिर से अपना घर बनाकर सुख शांति से रह सकेंगे और हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उनकी आशाओं पर पानी फिर जाए। शायद आशा की यही एक किरण है जिसके सहारे वे जी रहे हैं। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला

की बेटी साजढ़ा दिल्ली के निकट गुडगाँव जिले में पटौदी के नवाब से ब्याही थीं। भोपाल नवाब को अपनी बेटी और दामाद की सुरक्षा की चिंता थी। उन्होंने सरदार पटेल से उनकी सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए कहा। सरदार पटेल मणिबहन के साथ स्वयं पटौदी गए और उन्होंने नवाब पटौदी की सुरक्षा का संतोषजनक प्रबंध किया।[५]

सरदार पटेल ने भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् भारत से संबंधित समस्याओं को सुलझाया और अड़िग निश्चय के साथ शरणार्थियों के पुनर्वास का कार्य सम्पन्न किया। जनता की अस्थाई निवास व्यवस्था करके और बाद में स्थाई व्यवस्था करके सरदार पटेल ने उनमें निडरता का भाव भरा। इसी क्रम में जब शरणार्थियों का आदान–प्रदान हो रहा था तो सरदार पटेल ने १९४८ को लखनऊ में एक सभा में कहा था–''हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो चार करोड़ मुसलमान हैं, उनके हम ट्रस्टी हैं। मैं तो हिन्दू भाइयों से... कहना चाहता हूँ कि ... जो चार करोड. मुसलमान हैं उनके साथ छेडखानी कभी मत करो.. उनको आराम से रहने दो। जिनके दिल में भारत के प्रति पूरी वफादारी नहीं होगी वे अपने आप चले जाऐँ। यदि एक ऐसे मुसलमान को जो हिन्दुस्तान के प्रति वफादार है और जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हमारा साथ दिया, उनको यदि यहाँ से जाना पड़ेगा तो उससे शर्म की और कोई बात नहीं होगी।[६]

विलीनीकरण के प्रति दृष्टिकोण

१९२७ में अखिल भारतीय राज्य प्रजामण्डल की स्थापना के साथ ही सरदार पटेल की देशी रजवाडों में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। प्रजामण्डल का लक्ष्य देशी रजवाड़ों में लोकतंत्र और प्रतिनिधिक संस्थाओं की स्थापना करना था। प्रजामण्डल या पटेल देशी रजवाड़ों का अंत नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा सिर्फ यह थी कि देशी रजवाड़े देश की मुख्य धारा में सम्मिलित हों और अपनी जनता की भलाई के लिए काम करें। सरदार पटेल के विचार से देशी राजाओं की स्थिति दयनीय थी। वे पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके राज्यों में नियुक्त रेजीडेन्ट ऊपर चौकीदारी करता था। राजा लोग ब्रिटिश सरकार के साथ मैत्री का दावा नहीं कर सकते थे। राजाओं का असली मैत्री अपनी प्रजा से हो सकती थी। प्रजा की मैत्री से ही उनके राज्य की जड़ें मजबूत हो सकती थीं।[७]

देशी रजवाड़ों के संबंध में सरदार पटेल का यह दृष्टिकोण अंत तक बना रहा। उन्होंने १९२९ में ही देशी नरेशों को यह विश्वास दिला दिया था कि स्वतंत्र भारत में उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। पटेल देशी नरेशों के साथ संघर्ष के विरूद्ध थे। इसके तीन कारण थे। राज्यों की जनता संघर्ष के लिए तैयार नहीं थी। दूसरा कांग्रेस ने एक मोर्चा ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध पहले ही खोल रखा था, उसके पास इतने साधन नहीं थे कि वह देशी नरेशों के विरूद्ध भी मोर्चा सफलतापूर्वक खोल सके। तीसरी देशी राजाओं के साथ लड़ाई भारतीयों की भारतीयों के साथ लड़ाई होती। इन विचारों के बावजूद सरदार पटेल यह समझते थे कि आजादी की लड़ाई सारे भारत के लिए है। राज्य भारत के अभिभाज्य अंग हैं। भारत को जो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है वह देशी राज्यों को भी मिलेगी।

सरदार पटेल ने मैसूर और राजकोट के आंदोलनों में भाग लिया था और इससे उन्हें देशी रजवाड़ों की मन: स्थिति का ज्ञान हो गया था। स्वतंत्रता के बाद जब उन्हें देशी राज्यों की समस्या से जूझना पड़ा, तब यह अनुभव उनके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ।

सरदार पटेल ने दृढ़ संकल्प द्वारा भारत की राजनीति को नई दिशा दी। वे भारत की समस्त रियासतों का एकीकरण करके अखण्ड भारत की कल्पना करते थे। इस दुष्कर कार्य के लिए उन्होंने स्वतंत्रता मिलने से पूर्व ही अपनी विचारधारा के नेताओं के साथ मिलकर देशी रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य आरंभ कर दिया था। पटेल के प्रभावशाली व्यक्तित्व के सम्मुख अधिकांश रजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय के लिए स्वीकृति दे दी थी। साम, दाम, दण्ड और भेद की नीति में वे पारंगत थे। यही कारण है कि जो देशी राजा भारत में विलय के इच्छुक नहीं थे, उन्हें भी पटेल ने इस नीति को अपनाते हुए विवश कर दिया, जिससे किसी ने आत्मसमर्पण किया, तो किसी ने प्रसन्नतापूर्वक विलय कर लेना चाहा।

विलीनीकरण में योगदान

सरदार वल्लभभाई पटेल ही वास्तव में आधुनिक भारत के शिल्पी और भारत राष्ट्र निर्माता थे। देश के लिए किए उनके कार्यों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—पहला स्वाधीनता प्राप्ति हेतु किया गया संघर्ष और दूसरा स्वाधीनता के पश्चात् राष्ट्र के एकीकरण में उनकी भूमिका। अपनी इन दोनों ही भूमिकाओं में इस महान राष्ट्र शिल्पी ने जिस प्रकार की जीवटता का परिचय दिया तथा जिस प्रकार उन्होंने अदम्य साहसपूर्वक निर्णय लिए उसी के कारण उन्हें 'लौह पुरूष' के नाम से जाना जाता है। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में सरदार वल्लभभाई पटेल का ऐतिहासिक योगदान स्वर्णाक्षरों में अंकित किए जाने की पात्रता रखता है। स्वतंत्र भारत में पं. जवाहर लाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में गठित प्रथम सरकार में सरदार पटेल ने केन्द्रीय गृहमंत्री और उपप्रधानमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। भारत विभाजन की विषम विभीषिका से व्युत्पन्न विखंडन के खतरों को ध्वस्त करते हुए सरदार पटेल ने जिस साहसपूर्ण राजनीतिक कौशल से ५५० से अधिक देशी रियासतों का भारत में विलय कराया, वह चमत्कारपूर्ण कार्य विश्व के इतिहास में विलक्षण, अनुपम और अद्वितीय है।

कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तथा गुजरात से लेकर असम तक भारत की जिस भौगोलिक अवस्थिति का भान होता है, उसे इस रूप में संगठित करने का अपूर्व श्रेय अकेले सरदार पटेल को जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर उनका यह कार्य उन्हें 'लौहपुरूष' कहे जाने की प्रशस्ति संज्ञा प्रदान करता है। सरदार पटेल ने रियासतों के विलय के लिए कूटनीति, समझाइश, दबाव आदि सबका इस्तेमाल किया। १५ अगस्त १९४७ को भारत की जनता ने तो स्वाधीनता की हवा में सांस ली। लेकिन रियासतों की जनता दोहरी गुलामी में दिख रही थी। राजा अंग्रेजों के गुलाम और प्रजा राजा की गुलाम। रियासतों की जनता को अधिकार भी बहुत सीमित थे। कांग्रेस नेताओं को उनके अधिकारों की चिन्ता थी। देश की एक तिहाई जनता, गुलामी जैसी स्थिति में जिए यह राष्ट्रीय नेताओं को मंजूर नहीं था इसलिए जब २७ जून १९४७ को सरदार पटेल को नवनिर्मित स्टेट्स डिपार्टमेंट का जिम्मा मिला तो उन्होंने तत्काल कदम उठाए। कुछ रियासतों ने समझदारी दिखाते हुए अप्रैल १९४७ में ही अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेज दिए थे। परन्तु अधिकांश रियासतें समय की दीवार पर लिखी इबारतें पढ़ नहीं पा रही थी। वे हीला हवाला कर रही थी और कुछ जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, त्रावणकोर, भोपाल, जम्मू कश्मीर शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का सपना संजोए थीं। सबसे पहले सरदार पटेल ने तीनों विषयों विदेश संबंध, रक्षा तथा आवागमन में भारत के साथ संविलियन की अपील की। उन्होंने यह समझाया कि यदि उन्होंने यह

नहीं किया, तो १५ अगस्त के बाद रियासतों की बैचेन और उग्र होती जनता को भारत रोकेगा नहीं। सरदार पटेल की युक्ति कारगर रही। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को छोड़ कर शेष सब रियासतें १५ अगस्त १९४७ तक सहमत हो गई। इन तीन रियासतों को भी अलग–अलग कारणों से भारत में शामिल होना पड़ा।[८]

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भारत छोड़ते समय भी ५०० से अधिक भारतीय रियासतों को पूर्ण स्वतंत्र घोषित करके खंडित भारत के बिखराव की स्थिति पैदा कर दी थी। उस समय सरदार पटेल ने इन रियासतों का भारत संघ में विलीनीकरण का बोझ अपने कंधो पर लिया। कश्मीर के प्रश्न को सरदार पटेल के मंत्रालय से अलग करके अपने पास ले लिया था।

सरदार पटेल ने भारत के संगठनात्मक नवनिर्माण हेतु जिस सूझ–बूझ और कौशल द्वारा देशी रजवाड़ों एवं राजाओं को स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने के लिए मना लिया, वह अपने आप में एक मिसाल है। सरदार पटेल की तुलना जर्मनी के विस्मार्क से की जाती है जिन्होंने होओहेनजॉलनर्स और ऑगस्टेनबर्ग के बीच की तकरार को साम–दाम–दंड–भेद नीति के तहत लगभग खत्म करने की कगार पर ला दिया और प्रूसिया भूखंड को केन्द्रित करके जर्मन एंपायर को पूरी तरह से खड़ा कर दिया था। अराजकता की स्थिति को दूर कर भारत को एक अखण्ड राष्ट्र का रूप देने में सरदार पटेल ने विस्मार्क जैसी संगठन शक्ति और चाणक्य जैसे दूरदर्शिता पूर्ण राजनीतिक कौशल का परिचय दिया।[९] जो कि अपने आप में अतुलनीय है।

महाप्रयाण

सरदार पटेल पहले से ही अस्वस्थ चल रहे थे। स्वास्थ्य लाभ के लिए वे मसूरी और देहरादून भी गए तो वहाँ भी अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरे रहे। उन्हें दिल के छोटे–बड़े कई दौरे पड़े थे। तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने पर डॉ. वीसी. राय ने सलाह दी कि बंबई की जलवायु उनके लिए बेहतर होगी, अत: उन्हें वहाँ जाकर विश्राम करना चाहिए। इसके बाद वे बम्बई चले गए। जलवायु बदलने की तरकीब भी काम न आई और बम्बई में उनकी हालत बिगड़ती चली गई। १५ दिसंबर १९५० को उन्हें दिल का दूसरा दौरा पड़ा और प्रात: ९ बजकर ३७ मिनट पर उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और परमात्मा में विलीन हो गये।[१०]

सरदार पटेल के निधन का दु:खद समाचार मिलते ही सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी व अन्य गणमान्य नेता उनके निधन का समाचार मिलते ही विमान से बम्बई पहुँचे। उनकी अंतिम यात्रा के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। उनकी शवयात्रा का जूलूस बाल गंगाधर तिलक के बाद बम्बई का सबसे बड़ा जुलूस था। १५ दिसंबर को ही अपरान्ह में सोनपुर के श्मशान घाट पर सरदार पटेल का अंतेष्टि संस्कार किया गया। चिता को आग उनके पुत्र डाहयाभाई ने दी।[११]

तमाम मतभेदों के बावजूद सरदार पटेल, पं. नेहरू के एक ऐसे मित्र थे जिन पर वे सबसे अधिक विश्वास करते थे। सरदार पटेल की मृत्यु पर पं. नेहरू ने कहा था–''यह एक महान कहानी है जिसे सदियों तक हमारा देश दोहराता रहेगा। वह नवीन भारत के महान निर्माता थे.....उन्होंने स्वाधीनता आंदोलनों में कई बार हमें ठोस परामर्श दिए।[१२]

विश्व के लगभग सभी देशों से सरदार पटेल के निधन पर श्रद्धांजलि के संदेश आने लगे। लार्ड माउंटबेटन ने लिखा कि वह अब नहीं रहे, पर उनकी आत्मा सदा अमर होकर रहेगी। देशी विदेशी समाचार पत्रों ने भी भारत माता के इस महान सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके महान कार्यों को स्मरण किया।

निष्कर्ष

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि सरदार पटेल का जीवन नि:स्वार्थता से ओतप्रोत था। वे भारतमाता के उन वीर सपूतों में से एक थे, जिनमें देश सेवा, समाज सेवा की भावना कूट–कूट कर भरी हुई थी। सरदार पटेल एक सच्चे राष्ट्रभक्त ही नहीं थे, अपितु वे भारतीय संस्कृति के महान् समर्थक थे। सादा जीवन उच्च विचार, स्वाभिमान, देश के प्रति अनुराग यही उनके आदर्श थे। वे कम बोलते थे काम अधिक करते थे अपनी दृढ़ता, आत्मबल, संकल्पशक्ति, निष्ठा, अटल निर्णय शक्ति, दृढ़ विश्वास, साहस, पौरूष एवं कार्य के प्रति लगन के कारण ही वे 'लौह पुरूष' के नाम से जाने जाते थे।

सन्दर्भ

१. गुप्त, विश्व प्रकाश और गुप्त, मोहिनी (१९९९) – सरदार वल्लभभाई पटेल व्यक्ति और विचार, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. ३

२. वही, पृ. ५

३. वही, पृ. १०२

४. कुमार, रवीन्द्र (१९९१)– सरदार वल्लभभाई पटेल के सामा. और राज. विचार, मित्तल पब्लिकेशनस, नई दिल्ली, पृ. १२५–१२६

५. गुप्त, विश्वप्रकाश और गुप्त, मोहिनी (१९९९) – सरदार वल्लभभाई पटेल व्यक्ति और विचार, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. १२३

६. कुमार, डॉ. रवीन्द्र (२००७)– मृत्युंजयी सरदार वल्लभभाई पटेल, सरदार वल्लभभाई पटेल फाउंडेशन, दिल्ली पृ. २८

७. गुप्त, विश्वप्रकाश और गुप्त, मोहिनी (१९९९) – सरदार वल्लभभाई पटेल व्यक्ति और विचार, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. १३४

८. साप्ताहिक समाचार पत्र – रोजगार और निर्माण भोपाल, दिनांक: ०७.११.२०१६, पृ. ३

९. रस्तोगी, सुभाष (२०२२) – क्रान्तधर्मी सरदार पटेल, सूर्यभारती प्रकाशन, नई सड़क दिल्ली पृ. ५४

१०. गुप्त, विश्वप्रकाश और गुप्त मोहिनी, (१९९९) – सरदार वल्लभभाई पटेल व्यक्ति और विचार, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. १३१

११. वही पृ. १४३

१२. रस्तोगी, सुभाष (२०२२) – क्रान्तधर्मी सरदार पटेल, सूर्यभारती प्रकाशन, नई सड़क दिल्ली, पृ. ७१

■ ■ ■